Title: Re: Changes in Crop Insurance policy as per recommendation of Committee comprising specialist concerned.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): महोदय, लातूर जिले के सोयाबीन किसानों को खरीफ 2022 सीजन के दौरान बुवाई के समय घोंघे के प्रकोप, भारी बारिश तथा उसके पश्चात् बेमौसम बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है । यह पाया गया है कि बीमा कंपनियों द्वारा पारदर्शी तरीके से किसानों को हुई फसल के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा है । अधिकांश किसानों को उनकी फसल के नुकसान के लिए अभी तक मुआवजा नहीं मिला है । यही नहीं अभी तक किसानों के वर्ष 2021 व वर्ष 2020 के दावे पर भी पूरी तरह भुगतान नहीं किया गया है ।

लातूर जिले में सोयाबीन किसानों के मामले में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कतिपय प्रक्रियागत खामियाँ पाई गई हैं । इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए तथा किसानों की मदद के लिए बीमा कंपनियों को अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव करना चाहिए ।

अत: इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि साल 2023 की बीमा योजना को लागू करने से पहले बीमा नीति में आवश्यक बदलावों पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें फसल बीमा से संबंधित अधिकारियों के अलावा हमारे जिले के विशेषज्ञ और किसान शामिल हों तथा उसकी सिफारिशों के अनुरूप फसल बीमा नीति में जरूरी बदलाव किया जाए । धन्यवाद ।